



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169375

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8607 वर्ष 2026

सुशील और 5 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आलोक कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

1. दिनांक 10.08.2026 की कार्यालय आख्या के अनुसार, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को जारी नोटिस उसकी बहन के माध्यम से तामील करा दिया गया है, किंतु उसकी ओर से उपस्थित होने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह तथा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन आवेदकों द्वारा दिनांक 17.02.2010 के आक्षेपित समन आदेश तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, गाजियाबाद द्वारा पारित दिनांक 07.04.2016 के उस आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। उक्त कार्यवाही परिवाद वाद संख्या 2754/09 (नया संख्या 443/2026), “श्रीमती खुशबू बनाम सुशील एवं अन्य”, धारा 498-ए, 323, 504, 506 आई.पी.सी. तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद, से उद्भूत है, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद के समक्ष लंबित है। साथ ही, वर्तमान आवेदन द्वारा उपर्युक्त परिवाद वाद संख्या 2754/09 (नया संख्या 443/2026), “श्रीमती खुशबू बनाम सुशील एवं अन्य”, धारा 498-ए, 323, 504, 506 आई.पी.सी. तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की संपूर्ण कार्यवाही को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद के समक्ष लंबित है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह आवेदकों और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के मध्य वैवाहिक विवाद है तथा दोनों पक्षों ने अपने विवाद का समाधान कर लिया है और समझौता कर लिया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26.02.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षकारों को आदेश की प्रमाणित प्रति तथा समझौता विलेख की छायाप्रति के साथ संबंधित न्यायालय के समक्ष छह सप्ताह की अवधि के भीतर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, ताकि पक्षकारों के समझौते का सत्यापन किया जा सके। उक्त आदेश के अनुपालन में विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.05.2026 को उक्त समझौते का सत्यापन किया तथा दिनांक 16.05.2026 की आख्या अभिलेख पर है। दिनांक 07.02.2026 के उक्त समझौता विलेख

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की प्रति भी वर्तमान आवेदन के अभिलेख पर है, जिसमें पक्षकारों द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि उन्होंने मामले में समझौता कर लिया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त समझौते के दृष्टिगत यदि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। अतः आगे कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं है और वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस सी सी 466, पर्वतभाई आहिर उर्फ पर्वतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस सी सी 641 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन, (2019) 5 एस सी सी 688 के मामलों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2013 (83) एसीसी 278] में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में प्रतिपादित विधि की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है।

7. उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही को लंबित रखकर आगे बढ़ाने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, दिनांक 17.02.2010 का आक्षेपित समन आदेश तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, गाजियाबाद द्वारा पारित दिनांक 07.04.2016 का आदेश तथा उपर्युक्त परिवाद वाद संख्या 2754/09 (नया संख्या 443/2026), “श्रीमती खुशबू बनाम सुशील एवं अन्य”, धारा 498-ए, 323, 504, 506 आई.पी.सी. तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की कार्यवाही, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद के समक्ष लंबित है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

9. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त समझौते में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के किसी उल्लंघन की स्थिति में, कोई भी पक्षकार इस न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I)

10 अगस्त, 2026

कशिफा